

प्रेस- नोट

दिनांक- 13.11.22

थाना कोतवाली पर पंजीकृत हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 446/22 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात में प्रकाश मे आये अभियुक्त राहुल यादव पुत्र गोबिन्द यादव निवासी भाण्डेरी गेट बाहर सुरेश कुशवाहा पुत्र रामजी लाल कुशवाहा का मकान किराये से, थाना कोतवाली झांसी उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार कर की गयी विधिक कार्यवाही के संबंध में-

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.11.2022 को वादी मुकदमा श्री अमन गुप्ता पुत्र शिवशंकर गुप्ता निवासी किराये का मकान कमलेश राय मुहल्ला टपरियन के पीछे हंसारी थाना प्रेमनगर झांसी ने अपने बड़े भाई लाला उर्फ अमित गुप्ता की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 446/2022 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर तत्काल पुलिस की टीम गठित कर अज्ञात अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी गयी। घटना स्थल के आस - पास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज तथा बयानों से अभियुक्त राहुल यादव पुत्र गोबिन्द यादव निवासी भाण्डेरी गेट बाहर सुरेश कुशवाहा पुत्र रामजी लाल कुशवाहा का मकान किराये से थाना कोतवाली झांसी का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त राहुल यादव उपरोक्त की तलाश के क्रम में दिनांक 12.11.2022 को पंचवटी पानी की टंकी वाले तिराहे पर अभियुक्त राहुल यादव पुत्र गोबिन्द यादव निवासी भाण्डेरीगेट बाहर सुरेश कुशवाहा पुत्र रामजी लाल कुशवाहा का मकान किराये से थाना कोतवाली झांसी उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं शादी विवाह मे चाऊमीन, डोसा का काम कर लेता हूँ उसी से मेरा खर्च निकल आता है। मेरी शादी नहीं हुई है। मृतक अमित गुप्ता उर्फ लाला से व इसके भाइयों से हमारे परिवार की अच्छी जान पहचान थी ये लोग पहले यहीं हमारे मोहल्ले के आस - पास ही रहते तथा चूड़ी बेचने का काम करते थे। अमित गुप्ता उर्फ लाला शराब बहुत पीता था। अमित गुप्ता उर्फ लाला की मेरी छोटी बहन पर बुरी नजर थी जिसकी फरवरी 2023 मे शादी होने वाली है। मैंने अमित गुप्ता उर्फ लाला को कई बार मना किया परन्तु वह नहीं माना । तब मैंने इसे जान से मारने का इरादा बना लिया और दिनांक 09/10.11.2022 की रात्रि को देखा कि अमित गुप्ता उर्फ लाला उन्नावगेट बाहर चाय की दुकान के बाहर चबूतरे पर सो रहा था मैं उसे ओमप्रकाश कोष्टा के मकान के अन्दर ले आया। अमित गुप्ता उर्फ लाला कमरे मे पड़ी लोहे की बेंच पर लेट गया कुछ ही देर मे वो सो गया। मैंने वही कमरे मे पड़ी हुए लकड़ी की फन्टी से अमित गुप्ता उर्फ लाला के सिर पर कई वार किये जिससे वो बेहोश हो गया फिर मैंने पास मे ही पड़े हुए एक नुकीला बड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाकर उसके सिर मे, सीने मे, और गले मे कई वार किये फिर वो बेंच से नीचे गिर गया। मैंने उसके गले पर उसी नुकीले पत्थर से मार - मार कर गले को धड से लगभग अलग कर दिया था एवं उसी कमरे में पड़े हुए ब्लेड के टुकड़े से अमित के गले को काटा भी था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी फिर डर के कारण मैं इधर उधर छिपता रहा।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 446/22 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली झाँसी

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक 12.11.2022 समय 22.55 बजे , पंचवटी पानी की टंकी वाले तिराहे पर सडक किनारे

बरामदगी का विवरण

1. एक लकड़ी की फन्टी
2. ब्लेड के दो टुकड़े
3. रक्त रंजित पत्थर
4. घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहने गये कपड़े

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. श्री तुलसीराम पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली झाँसी
2. उ0नि0 श्री शिवम सिंह चौकी प्रभारी उन्नावगेट थाना कोतवाली झाँसी
3. उ0नि0 शिवजीत सिंह चौकी प्रभारी बड़ागाँवगेट थाना कोतवाली झाँसी
4. का0 158 अंकित दीक्षित चौकी उन्नावगेट थाना कोतवाली झाँसी
5. का0 199 राजेश कुमार चौकी उन्नावगेट थाना कोतवाली झाँसी